


15-3-19

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


सदिग्ध/अवेध जमाबदी रद्द अभिलेख सं० १९/२०१९-१९

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एंव कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	<p>झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जांच प्रारम्भ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<del>...</del> मौजा न०- 86 खाता न० 196</p> <p>प्लॉट न० 4194 रकबा 18 <del>...</del> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या 51 के पृष्ठ संख्या 501 पर जमाबदी रैयत <del>...</del> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बदोबस्ती के आधार प/अवेध कोडकर बदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाम एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 23/3/19 को रखे।</p>	


  
 13-3-19  
 अंचल अधिकारी,  
 धनबाद।

उपरस्थापित उपरस्थितिक से कार्य / प्रतिवेदन अर्थात् है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

  
अधिल अधिकारी  
धनबाद।

14/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाण कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
अधिल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20  
20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अधिल निरीक्षक का प्रतिवेदन मातृ सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।


  
अधिल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा खैरा मौजा नं 96 खाला 196 प्लॉट नं 4194 रकबा 18.97 भूमि से संबंधित है। आधेपित भूमि मत सर्वे खतियान के अनुसार गैरजावाद खाले की भूमि है। जमाबंदी रकबा के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का लामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलमम)। आधेपित भूमि दखिल खारिज केस नं 13 (1) 21-22 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अधिल अधिकारी धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद भूना मना है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अधिल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुसूता सहित सम्पित किया।

अतः उचित प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपरमाहली धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं सशोपत।

  
अधिल अधिकारी  
धनबाद।

  
अधिल अधिकारी  
धनबाद।